water leaked from BARC in the past?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (a) and (b) No radio-active leak has taken place from the Tarapur Atomic Power station. A minor leak occurred from the Waste Immobilisation Plant of the Bhabha Atomic Research Centre which treats the wastes generated by the nuclear facilities at Tarapur. Investigations have revealed that the leak occurred due to the contamination of steam condensate coming out of an evaporator steam coil. The radio activity concentration in the drain water was in the range of 6-10 becquerels per litre (becquerel per litre is a unit for expressing radioactivity concentration). In comparison, the World Health Organisation standard for radioactivity concentration in drinking water for continued consumption is 10 Bq/litre and normal radioactivity level in sea water is about 15 Bq/litre. There is, therefore, no danger to the people or the environment on account of this incident. The source of the leak was identified and rectified to ensure that there is no recurrence of such incident in future. The incident has also been investigated by the Standing Safety Committee of the Atomic Energy Regulatory Board as per normal procedure.

(c) There has been no leakage of radioactivity from the Bhabha Atomic Research Centre Facilities into the public domain in the past.

कृषि आधारित उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश

545. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षो के दौरान गुजरात में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु प्राप्त विदेशी पूंजी निवेश के प्रस्तावों का जिलावार ब्यौरा क्या है,

(ख) अब तक कितने प्रस्तावों को अनुमोदित और क्रियान्वित किया गय है,

(ग) क्या सरकार द्वारा सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र के साथ घोर अन्याथ किया जा रहा है,

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है,और

(ड़) अनुमोदित प्रस्तावों के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ड़) 1993 से जून, 1995 के अंत तक पिछले तीन वर्षो की अवधि में गुजरात में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए प्राप्त तथा अनुमोदित विदेशी निवेश के प्रस्तावों के ब्यौरे विवरण में दिये गये हैं। (नीचे देखिए)

परियोजनाओं का कार्यान्वयन फलन अवधि पर निर्भर करता है जो प्रत्येक परियोजना के लिए अलग-अलग होता है । वास्तविक रूप में कार्यान्वित परियोजनाओं के विवरण केन्द्रीय रूप में नहीं रखे जाते हैं ।

विदेशी निवेश के लिए अनुमोदन नयी औद्योगिक नीति के दिशानिर्देशों के तहत मंजूर किये जाते हैं । परियोजना के स्थापना स्थल का चयन करने हेतु इसे सामान्यतया उद्यमियों पर छोड़ दिया जाता है ।

विवरण

पिछले तीन वर्षो के दौरान गुजरात में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए प्राप्त विदेशी निवेश के प्रस्तावों के जिलेवार विवरण

भारतीय कंपनी का नाम	विदेशी सहयोगी का नाम	विनिर्माण की मद	स्थापना स्थल	राशि (ईक्विटी) (रुपये लाख में)
1	2	3	4	5
कोरोल प्रोसेसिंग प्रा. लि. काडिया – 387001 (गुजरात)	एक्सपोर्ट होल्डिंग लि. पीटर पोर्ट, म्यू-रनस चैनल आईलैंड	भुने एवं नमकीन काजू का प्रसंस्करण	खेड़ा गुजरात	40.00 (100%)

1	2	3	4	5
रूचि सोया इंडस्ट्रीज लि. बम्बई – 400021	अनिवासी भारतीय	सोया डि- ऑयल्ड केक	राजकोट गुजरात	300.00 (20%)
एल एम पी एग्रो एक्सपोर्ट लि. वदोदरा – 390005	अनिवासी भारतीय	सूखा प्याज और अन्य सब्जियां जैसे कि लहसून,अदरख इत्यादि	वदोदरा गुजरात	187.50 (27%)
अनूप कोठारी नई दिल्ली – 110048	डालसेम वेसियप हालैंड, नीदरलैंड	सफेद बटन मशरूम	वदोदरा गुजरात	160.00
कामसन फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि., गुजरात	मल्टीफ्लोर हालैंड, एन. वी., हालैंड, नीदरलैंड	ताजे फूल जैसे कि गुलाब, क्राईसेंथेमम, कारनेशन जरवेरा (ग्रीन हाउस कल्टीवेल शन के अधीन उपजाए गए)	वदोदरा गुजरात	90.65 (49%)
राधेश्याम एग्रो फूड्स लि. अहमदाबाद-380001	बेल्लभई बार्टर ट्रेड प्रा. लि. सिंगापुर	आलू पाउडर	गुजरात	64.00 (6.32%)

राज्यों को मुफ्त कानूनी सहायता के लिए प्रदान की गई राशि

546. **श्री अजीत जोगी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षो के दौरान गरीब लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए रज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की है,

(ख) क्या इन सभी राज्यों ने इस राशि का समुचित उपयोग किया है,

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं,

(घ) क्या सरकार इस योजना के लिए निर्धारित सिद्धांतों में संशोधन करने का विचार रखती हैं,

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा गरीब लोगों को प्रभावी ढंग से मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? उठाए जाने का विचार हैं?

विधि न्याय और कंपनी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति, विधिक सहायता शिविर लगाने, लोक आदोंलनों आयोजित करने, विधि सहायता क्लिनिक स्थापित करने, विधिक ज्ञान के संवर्द्धन, पराविधिकों के प्रशिक्षण जैसे विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डो, विश्वविद्यालयों और विधि महाविद्यालयों और सामाजिक कार्य समूहों को सहायता अनुदान मंजूर करती है। वित्तीय वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान राज्यवार दिया गया हिसाब सदन के पटल पर रखे गए विवरण में अंतर्विष्ट हैं।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा निधियों के उपयोग न किए जाने के कारण विधि और व्यवस्था, बाढ़ सूखा और व्यावसायिकों के रूख, आदि के कारण भिन्न हो सकतें हैं।

(घ) और (ड़) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(च) निर्धन व्यक्तियों को नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए संघ सरकार द्वारा की गई वित्तीय सहायता से राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डो द्वारा लोक अदालतें, विधिक सहायता शिविर, विधिक ज्ञान शिविर पराविधिकों के प्रशिक्षण, आदि जैसे विभिन्न विधिक सहायता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।